

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

प्रकरण संख्या :-62/25

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
आवास फाईनेन्सियर्स लिमिटेड 201-2012, द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्कवायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अजय कुमार यादव		<ul style="list-style-type: none">पूसा राम पुत्र किशना राम 203-के, पांचोडी, तहसील खींवसर, जिला नागौरराधा देवी पत्नी पूसा राम 207, मुख्य ग्राम, पांचोडी, तहसील खींवसर, जिला नागौरओमा राम पुत्र गोरधन राम मेघवालों की ढाणी, मुख्य ग्राम नागौर, तहसील खींवसर, जिला नागौर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक :-18.09.2025

1-हिमांशु पारीक अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण पूसा राम पुत्र किशना राम व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 11,00,000/-मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण पूसा राम पुत्र किशना राम की जायदाद प्लॉट नम्बर 02, पट्टा नम्बर 05081, खसरा नम्बर 137, विजय नगर, सेक्टर-डी, ग्राम पाल, तहसील व जिला जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 1520 वर्ग फीट जिसके उत्तर में प्लॉट नम्बर 03, दक्षिण में प्लॉट नम्बर 01, पश्चिम में अन्य भूखण्ड एवं पूर्व में रास्ता द्वारा घेरें हुए हैं। अप्रार्थी बैंक/कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण अप्रार्थी बैंक/कम्पनी के



Signature valid

Digitally signed by Designation, College & District Magistrate
Date: 2025.09.18 14:11:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17862011

को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 15.05.2025 तक 11,39,106/- भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्मलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 11,00,000/-मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 15.05.2025 तक 11,39,106/- वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति /सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्तजायदाद पूसा राम पुत्र किशना राम की जायदाद प्लॉट नम्बर 02, पट्टा नम्बर 05081, खंसरा नम्बर 137, विजय नगर, सेक्टर-डी, ग्राम पाल, तहसील व जिला जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 1520 वर्ग फीट. जिसके उत्तर में प्लॉट नम्बर 03, दक्षिण में प्लॉट नम्बर 01, पश्चिम में अन्य भूखण्ड एवं पूर्व में रास्ता आया हुआ, का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्मलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेषित की जाय।



आदेश आज दिनांक 18.09.2025 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by Garav Agrawal
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2025.09.18 14:11:47 IST
Reason: Approved

दिनांक

RajKaj Ref No.:
17862011

सूचना अधिनियम 1987